महत्वपूर्ण

संख्या-भ.स.2/नौ–9–2010–5ज/2010

प्रेषक,

आलोक रंजन
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
स्थानीय निकाय
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 04 फरवरी, 2010

विषयः–केन्द्र सरकार की सम्पत्ति पर सेवा कर के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–एन–11025/26/2003–यू.सी.डी. दिनॉक 17.12.2009एवं सिविल अपील संख्या 9458–63/2003 राजकोट म्यूनिस्पल कारपोरेशन व अन्य बनाम यू0ओ0आई0 व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनॉक 19.11.2009 (प्रति संलग्न) का संदर्भ लेने का कष्ट करें। मा. उच्चतम् न्यायालय के आदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार के विभागों से स्थानीय नागर निकायों को सम्पत्तिकर के स्थान पर सेवा प्रभार (Service Charges) वसूलने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। इसके अनुसार सबंधित नागर निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जा रही समस्त, आंशिक और कोई भी सेवा का उपयोग न करने वाले भारत सरकार के विभागों द्वारा सम्पत्तिकर के क्रमशः 75 प्रतिशत,50 प्रतिशत और 33 1/3 प्रतिशत सेवा प्रभार का भुगतान संबंधित स्थानीय नागर निकाय को किया जायेगा। आपसी सहमति के आधार पर उक्त व्यवस्था का संशोधन अथवा पुनरीक्षण किया जा सकता है।किन्तु असहमति की दशा में केन्द्र सरकार व संबंधित स्थानीय नागर निकाय के प्रतिनिधि सहित नगर विकास विभाग के वरिष्ठ प्रतिनिधि यथासम्भव सचिव की तीन सदस्यीय समिति (Mediation Committee) द्वारा इसका निस्तारण किया जायेगा। स्थानीय नागर निकाय द्वारा सेवा प्रभार वसूलने हेतु भारत सरकार के विभागों पर राजस्व वसूली के सम्बन्ध में कोई बल

प्रयोग नहीं किया जायेगा और न ही उन्हे प्रदान की जा रही सेवाएं रोकी जायेगी।

2— अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार की सम्पत्तियों पर सेवा प्रभार वसूलने संबंधी शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संलग्न पत्र में उल्लिखित उक्त निर्देश सहित अन्य समस्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाय। उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से समस्त नागर निकायों को अनुपालनार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय,

( आलोक रंजन )
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त नगर आयुक्त,नगर निगम,उत्तर प्रदेश।(संलग्नक सहित)
2— समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश)
3— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।